राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), दौसा

क्रमांकःसहायता / बाढ़ / मरम्मत / बांध–नहर / 2025 / 2376 दिनांकः–07.10.2025

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

मानसून वर्ष 2025 में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापन हेतु इस कार्यालय से भिजवाये गये प्रस्ताव कमांक 2045 दिनांक 20.08.25 एवं पत्र क्रमांक 2120 दिनांक 08.09.2025 के आधार पर आपदा प्रबन्धन विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ.8(19)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ 17688660 जयपुर दिनांक 11.09.2025 एवं RAJKAJ 17912619 जयपुर दिनांक 23.09.2025 के द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्राप्त हुई हैं।

जल संसाधन विभाग खण्ड दौसा ब्लॉक दौसा के 01 कार्यो हेतु राशि 2.00 लाख, खण्ड दौसा ब्लॉक लवाण के 01 कार्यो हेतु राशि 2.00 लाख, ब्लॉक नांगल राजावतान के 02 कार्यो हेतु राशि 4.00 लाख **कुल 04 कार्यो हेतु राशि 8.00 लाख (अक्षरे रूपये आठ लाख मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि(एसडीआरएफ) से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई हैं।

उक्त के संबंध में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, दौसा के पत्रांक 2408 दिनांक 29.09.2025 द्वारा तकमीने बनवाये जाकर तकनीकी स्वीकृति प्रेषित की गई हैं। कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, दौसा होंगे।

क्र. सं.	कार्य का नाम	ब्लॉक	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	राशि रूपये
1	Urgent Repair Work of main canal pyariwas & Nayagaon minor canal system Tehsil-Nangal Rajawatan, Dist-Dausa.	नांगल राजावतान	45 / 29.09.2025	198847
2	Urgent Repair Work of Paparda dam and canal system Tehsil-Paparda Block-Nanagal rajawatan, Dist-Dausa.	नांगल राजावतान	46 / 29.09.2025	198189
3	Urgent Repair Work of Damaged canal and Construction of protection wall chandrana Dam and main canal km.450 chandrana Dam	दौसा	48 / 29.09.2025	199760
4	Urgent Repair Work of Jhilmili Dam and Jagrampura miner head and Canal system	लवाण	47 / 29.09.2025	198167
			कुल 04 कार्यो हेतु	**794963**

अतः उक्तानुसार मरम्मत कार्य करवाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

Signature valid

Digitally signed by Devendra Kumar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.06 20:30:37 IST
Reason: Approved

1. केवल ऐसी नहरें/बांध जिनका उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यो एवं [illegible] किया जा रहा के लिए ही विभाग के पास उपलब्ध संधारण [illegible] मद में राशि [illegible] उपयोग करने के बाद

एसडीआरएफ का उपयोग मरम्मत कार्य हेतु लिया जावें। (उक्त के संबंध में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।)

2. केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुर्नरूत्थान के कार्य ही करवाये जावें, जो एसडीआरएफ नोर्म्स में दिये गये प्रावधान अनुसार हो।
3. वे नहरें/बांध जो डिफेक्ट लाईब्लिटी अवधि के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं हैं। उक्त स्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन है कि किसी भी चालू लघु सिचांई परियोजना के संबंध में कार्य की पुनरावृति नहीं होगी।
4. प्रस्ताव उपखण्ड़ स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है। कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
5. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावें, ताकि कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे तात्कालिक मरम्मत का उदेश्य पूर्ण हो सके।
6. कार्यकारी एजेन्सी उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व आवश्यक प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया हैं।
7. कार्य पूर्ण होते ही बिल तैयार कर उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जनप्रतिनिधि से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें, ताकि समय पर भुगतान करवाया जा सकें।
8. आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावें।
9. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
10. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।
11. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा।

2245–	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02–	बाढ़/चक्रवात आदि।
122–	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना
(02)–	बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निमार्ण हेतु सहायता
01–	[बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निमार्ण हेतु सहायता]
21–	अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस)

(केन्द्रीय निधि 75 प्रतिशत, राज्य निधि 25 प्रतिशत)

Signature valid
जिला कलक्टर
Digitally signed by Devendra Kumar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.06 20:30:37 IST
Reason: Approved
दौसा

क्रमांकःसहायता / बाढ़ / मरम्मत / बांध–नहर / 2025 / 2377 – 90 दिनांकः-07.10.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र दौसा।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ.8(19)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2024 / **RAJKAJ 17688660** दिनांक 11.09.2025 एवं **RAJKAJ No. 17912619** ,जयपुर दिनांक 23.09.2025 की पालना में बांध / नहरों के 04 कार्यो हेतु 7.95 लाख (अक्षरें सात लाख पिचानवे हजार रुपये मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं। अतः भुगतान हेतु उक्त राशि का बजट आवंटन करने का श्रम करावें।
7. उपखण्ड़ अधिकारी, दौसा, लवाण, नांगल राजावतान।
8. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग, दौसा।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, दौसा।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
दौसा

Signature valid

Digitally signed by Devendra Kumar
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.10.06 20:30:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18130963